

130

द्वारा : मेल/स्पीड पोस्ट



भा. कृ. अनु. प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 - 2786584 / FAX: 0291 - 2788706



फाइल सं० 7(1)Farm Contract /17-18/Admn.V/ 69.

दिनांक: 22/06/2017

सेवा में,

मैसर्स गार्ड यूटिलिटी सर्विस,
66, प्रभात सेन्टर, सेक्टर 1ए,
सीबीडी बेलपुर,
नवी मुम्बई 400614

विषय : काजरी जोधपुर में फार्म/तकनीकी/अन्य कार्य वार्षिक रेड-कोन्टैक्ट संविदा के आधार पर कराने हेतु ।
सन्दर्भ : आपकी ऑन लाईन निविदा आई.डी. संख्या 688153 दिनांक 10.06.2017.

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी संदर्भित निविदा के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के सक्षम प्राधिकारी ने Annexure-I में दर्शाए गये कार्यो हेतु आपकी दरों को प्रारम्भिक तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की है :-

1. ठेकेदार फर्म/कम्पनी को इस पत्र की प्राप्ति के 7 दिन की अवधि के अन्तर्गत रुपये 3500/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में लिखित अनुबंध प्रस्तुत करें तथा सुरक्षा राशि एक मुश्त रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र आई.सी.ए.आर. यूनिट काजरी, जोधपुर के पक्ष में बैंक डाफ्ट/एफ.डी.आर./बैंक गारन्टी, आदि माध्यम द्वारा संस्थान में जमा कराना होगा, जिसकी अवधि ठेका समाप्त होने के 60 दिन पश्चात् तक वैध रहेंगी। यदि फर्म/एजेन्सी/कम्पनी ऐसा नहीं करती हैं तो बिना किसी सूचना के आवंटित ठेका निरस्त माना जायेगा एवं उनके द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि (ई.एम.डी.) जब्त करली जायेगी और भविष्य में उस फर्म/एजेन्सी/कम्पनी से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
2. ठेकेदार फर्म/कम्पनी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और श्रम कानून प्रावधानों की पालना करनी होगी।
3. भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा मान्य न्यूनतम मजदूरी एवं संविदा के नियम व शर्तों के अनुसार ठेकेदार फर्म/कम्पनी को श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नोडल अधिकारी के समक्ष करना अनिवार्य होगा। कार्य का बिल ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर के चालान नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
4. ठेकेदार फर्म/कम्पनी को श्रम लाइसेंस, ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्रों की मूल प्रतिलिपि सत्यापन के लिए कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
5. ठेकेदार फर्म/कम्पनी को संविदा कार्य में लगाये गये श्रमिकों से सम्बन्धित सभी रिकॉर्ड/इनफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट लेबर (आर. एण्ड ए.) एक्ट 1970/1971 के अनुसार तैयार रखने होंगे। ये सभी रिकॉर्ड/ इनफॉर्मेशन नोडल अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
6. ठेकेदार फर्म/कम्पनी द्वारा श्रम अधिनियम के नियमों व शर्तों का उल्लंघन/उपेक्षा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अथवा ठेका संविदा को समाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है।
7. ठेकेदार फर्म/कम्पनी के प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार आयकर एवं अन्य लागू करों की कटौती की जायेगी।
8. ठेकेदार फर्म/कम्पनी को दिया गया कार्य नियम समय पर पूरा नहीं होने अथवा कार्य सन्तोषजनक नहीं किये जाने पर नियमानुसार कटौति (Deduction) कार्य के बिल से काटी जाएगी।
9. ठेका संविदा कार्य के दौरान संविदा/अनुबंध के नियम व शर्तों की पालना करते हुए कार्य पूर्ण करना होगा।
10. कार्य में लगाये गये श्रमिकों को भुगतान भारत सरकार द्वारा अधिकृत न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगा तथा उस पर ई.पी.एफ.ई.एस.आई. सेवा कर एवं अन्य देय परिलाभ नियमानुसार चुकता करने के चालान प्रस्तुत करने पर ही मासिक बिल मान्य होगा।

11. स्वीकृत दर/अनुबन्ध आरम्भ में Agreement की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। आपसी सहमति से इसे आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही निदेशक, काजरी, जोधपुर को यह अधिकार रहेगा कि बिना कोई कारण बताए अनुबन्ध को समाप्त कर सके।
12. कार्यादेश द्वारा दिये गए कार्य इस संस्थान के प्रभारी अधिकारीयो के निर्देशानुसार करना होगा।
13. कार्य आदेश में उल्लेखित समयावधि में पूर्ण करना होगा। केवल लिखित में समयावधि बढ़ाने की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही समयावधि बढ़ाई जायेगी।
14. ठेकादार फर्म द्वारा किये गये कार्य का प्रि-रिजिस्टर्ड बिल दो-प्रतिलिपि में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
15. ठेकेदार/फर्म को ई. पेमेन्ट भुगतान के लिए फर्म के बैकर/बैंक खाता संख्या के साथ सभी वांछित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
16. कार्य का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सामान्य तौर पर कार्य पूर्ण करने पर बिल प्रस्तुति की तिथि से 30 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाता है।
17. फर्म अपने सुपरवाइजर को नियुक्त करके उसका नाम, पता एवं मोबाईल नं. इत्यादि पूर्ण विवरण कार्यालय को प्रस्तुत करावे ताकि कार्यों के लिये उससे सम्पर्क किया जा सके।

यदि आप (फर्म/एजेन्सी) उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हो तो इस पत्र की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर सहमति प्रदान करे और आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करें ताकि कार्यादेश जारी किया जा सके, अन्यथा इस पत्र के जारी होने की तिथि के 10 दिन के बाद इस अनुबन्ध के प्रस्ताव पत्र को निरस्त मानते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

संलग्न : उपरोक्त।

(रतन लाल सुंकरिया)
सहायक प्रशासकीय अधिकारी

9/10

Annexure-I

काजरी, जोधपुर में फार्म/तकनीकी/अन्य कार्य के लिए निम्नलिखित कार्य मद हेतु मैसर्स गार्ड यूटिलिटी सर्विस, 66, प्रभात सेक्टर, सेक्टर 1ए, सीबीडी बेलपुर, नवी मुम्बई 400614 की प्रस्तुत दर के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स	कार्य विवरण	इकाई	दर (प्रति इकाई)
1	2	3	4
1.	शाले बनाना, सफाई करना, खरपतवार हटाना कुदाली या खुरपी द्वारा निराई/गुड़ाई एवं देखभाल करना। अ. फलों के पौधे (1.5मी. अर्धव्यास)	प्रति पौधा	26
	ब. वनीय पौधे / सौंदर्यकरण छोटे फलदार के पौधे (1.0 मी अर्धव्यास)	प्रति पौधा	25
	स. हेज	प्रति मीटर (रनिंग)	13
2.	फसल/घास इत्यादि में गोबरखाद /फर्टिलाइजर डालना एवं मिलाना। अ. गोबर की खाद डालना एवं मिलाना	प्रति हेक्टर	1900
	ब. रासायनिक खाद डालना एवं मिलाना	प्रति हेक्टर	1900
	स. खड़ी फसल एवं घास में खाद छिड़कना/बैंड प्लेंसमेंट एक बार	प्रति हेक्टर	1400
	द. फलदार पौधों में गोबर/रासायनिक खाद डालना/ मिलना।	प्रति पेड़ / पौधा	10
3.	सिंचाई करना अ. फसल में नाली (धौरा पद्धति) द्वारा	प्रति हेक्टर	3200
	ब. स्प्रिंकलर से सिंचाई	प्रति हेक्टर	2000
	स. ड्रिप से सिंचाई करना एवं ड्रिपर सिस्टम की सफाई करना	प्रति हेक्टर	1500
4.	रसायनों का बुरकाव/छिड़काव करना फसलों (बारानी/बहु वर्षीय)	प्रति हेक्टर	2300
5.	वॉर्डेक्स/चुना का मिक्सर बनाना एवं पौधों पर लगाना अ. छोटे पेड़ (15 सेमी व्यास तक)	प्रति 10 पेड़	30
	ब. बड़े पेड़ (15 सेमी से अधिक व्यास)	प्रति 10 पेड़	40
6.	पेड़ पौधे की छाटाई, कटाई, छंगाई, आकार देना, कटे हुए छानने की दुलाई भरना व खाली करना सरकारी ट्रैक्टर द्वारा। अ. झाड़ीनुमा पेड़/पौधे	प्रति पेड़	120
	ब. 10 वर्ष तक के पेड़	प्रति पेड़	120
	स. 10 वर्ष से बड़े पेड़	प्रति पेड़	350
	द. हेज	प्रति रनिंग मीटर	16
7.	फलों को तोड़ना अ. बेर, आवला, गोंदा	प्रति किलो	09
	ब. करोंदा	प्रति किलो	13
	स. अनार	प्रति किलो	09
	द. सब्जियां एवं अन्य फसलें	प्रति किलो	15
	य. गोंदा की पत्तियों का तोड़ना	प्रति पेड़	120
	र. अन्य फल (बेलपत्र आदि)	प्रति किलो	08
8.	चिकनी मिट्टी/गोबर खाद आपूर्ति करना। अ. चिकनी मिट्टी	प्रति ट्रैली (100 घनफुट)	3900
	ब. गोबर खाद	प्रति ट्रैली (100 घनफुट)	4200
9.	चिकनी मिट्टी, मिट्टी, बालू मिट्टी, गोबरखाद को काजरी फार्म के अन्दर खोदना, भरना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एवं खाली करना (सरकारी ट्रैक्टर एवं ट्रैली द्वारा)	प्रति ट्रैली	1200
10.	खड्डे खोदना एवं खाद मिट्टी मिलाकर भरना एवं पौधारोपण करना। अ. 1'x1'x1'	प्रति खड्डा	11
	ब. 2'x2'x2'	प्रति खड्डा	18
	स. 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर	प्रति खड्डा	200
11.	खाद मिट्टी का मिक्सर तैयार करना एवं थैलियों व गमलो में भरना एवं बेडों में शिफ्ट करना, बीज पोधा व कैंटिंग बोना व अंकुरण तक पानी देना। अ. 1-2 किलो साईज	प्रति 100 थैली या गमला	550
	ब. 3-5 किलो साईज	प्रति 100 थैली या गमला	700
	स. 6-10 किलो साईज	प्रति 100 थैली या गमला	800
	द. 11 किलो से अधिक साईज	प्रति 100 गमला	1000
12.	नर्सरी तैयार करना: बेड खोदना (1 फुट से 1.5 फुट) मिट्टी खाद मिश्रण करना, क्यारी बनाना, बीज/पोध, बोना, पानी देना, बेड में शिफ्ट करना	प्रति 10 वर्गमीटर पौधों की	360

13.	बडिंग एवं ग्राफ्टिंग करना	प्रति 100 नग (जीवित संख्या)	650
14.	एलोय, कैंवटी एवं अन्य पौधों के शकर्स निकालना, बेड तैयार करना एवं बेड में लगाना (एक बार) एवं पानी व निराई गुड़ाई करना इत्यादि।	प्रति बेड (4 मी X 5 मी) साइज	5800
15.	मोगरा व अन्य पौधों की बेड में मिट्टी चढाना/ दबाना	प्रति बेड (5 मी X 8 मी) साइज	105
16.	लॉन की कटिंग करना कटी हुई लॉन घास को हटाना एवं खड्डे में डालना सफाई करना	प्रति 100 वर्गमीटर	350
17.	खेत की सफाई करना बहुवर्षीय पौधे झाड़िया जड़े, मूल, पत्थर प्रायोगिक क्षेत्र से कचरा इत्यादि हटाना (सूड़ करना)	प्रति हेक्टर	8000
18.	खेत में लेआउटकरना, लेवल करना, रास्ता बनाना व बण्ड बनाना	प्रति हेक्टर	5800
19.	बुवाई के लिए मजदूर उपलब्ध कराना। अ. सीड ड्रिल द्वारा(मशीन संस्थान का)	प्रति हेक्टर	900
	ब. कल्टीवेटर द्वारा(मशीन संस्थान का)	प्रति हेक्टर	1300
	स. प्लांटर द्वारा(मशीन संस्थान का)	प्रति हेक्टर	2700
	द. हाथ द्वारा	प्रति हेक्टर	5600
	य. सब्जी घास व अन्य फसलों की सीडलींग का पौधारोपण करना।	प्रति हेक्टर	6000
20.	चिड़ियां व अन्य पक्षी उड़ाना एवं देखरेख करना	प्रति हेक्टर प्रति माह	16300
21.	खेत एवं रोड़ साइड की सफाई अ. दांतले/ तलवार से काटना	प्रति वर्गमीटर	5.50
	ब. फावड़ा/ कुदाली से सफाई करना	प्रति वर्गमीटर	06
22.	फसलों के बीज साफ करना, सुखाना, ग्रेडिंग करना पैकिंग करना, बोरियां भरना व सिलना, उपचारित करना एवं भण्डार में रखना, भण्डारण, थ्रेसिंग फ्लोर तथा ड्रमों की सफाई करना। अ. 5 किलो तक	प्रति 100 बैग	2400
	ब. 6-10 किलो	प्रति 100 बैग	2500
	स. 11-50 किलो	प्रति 100 बैग	3000
	द. 51 - 100 किलो	प्रति 100 बैग	4500
23.	पेड़ व घास के बीज इक्कठा करना, साफ करना, सुखाना पैक करना व भण्डार में रखना। अ. अंजन घास	प्रति किलो	600
	ब. धामन घास	प्रति किलो	240
	स. सेवन घास	प्रति किलो	350
	द. अन्य घास	प्रति किलो	350
	य. पेड़ व झाड़ियां (बीज निकालने सहित)	प्रति किलो	240
	र. पेड़ों के बीज इक्कठा करना	प्रति किलो	150
24.	खजूर के गुच्छों पर जाली चढाना एवं गुच्छों फलों को तोड़ना	प्रति 10 पौधा	690
25.	पशु आहार बट्टिका, मल्टीन्यूट्रीएंट मिश्रण तैयार करना, मैश फीड तैयार करना, चारा बट्टिका बनाना, कार्य स्थल की सफाई करना।	प्रति 100 किलो	1400
26.	कुत्तर मशीन द्वारा चारे का कुत्तर करना एवं भण्डार में डालना (श्रमिकों सहित)	प्रति घंटा	1100
27.	बेकरी यूनिट में ब्रेड, केक व बिस्कुट को डो (मिश्रण) तैयार करना, रोलर द्वारा रोल करना, मोल्ड में भरना, प्रूफर में चार्ज करना, ओवन में बेक करना, कटिंग व पैकिंग कार्य। मशीनों की धुलाई, कार्य स्थल की सफाई इत्यादि।	प्रति 50 किलो बैग	2450
28.	फूड प्रोसेसिंग यूनिट में फलों की धुलाई, सफाई, तोलना, जूस निकालना, काटना, पकाना, सिरपिंग करना, आंवलों में छेद करना, बॉटल भरना, अचार, जैम, जैली, सॉस आदि बनाना। प्रयोगशाला में सफाई व बर्तन धोना (केवल महिला श्रमिक) एवं फल फार्म से तोड़ना।	प्रति दिन	500
29.	कमजरी परिसर में कटे हुए चारे (विभिन्न तरह का जैसे घास, डोके) को एकत्रित करके संस्थान के ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा डेयरी में पहुँचाना। जिसमें ट्रॉली फुल भरकर तथा साइड में support लगाकर रस्सी बांधकर लाने का। (ट्रैक्टर संस्थान को)	प्रति ट्रॉली	1050

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (पंचम)

७८